न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :–2021/84

सुखमिन्द्रसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी खाजूवाला

..... वादी

बनाम

आमीनखां पुत्र मदनखां जाति मुसलमान निवासी खाजूवाला

..........प्रतिवादी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः दिनांकः– 16.01.2023

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन, अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में वर्णित रकबा प्रार्थनापत्र अनुसार प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं अप्रार्थी के नाम रकबे से संबंधित दस्तावेज नहीं और नाही अप्रार्थी ने मौका पर काबिज को लेकर कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया जिससे अप्रार्थी का अधिकार साबित होता हो। इसलिए प्रकरण में समुचित सुनवाई कर मूलवाद/प्रार्थनापत्र में निर्णय होना है। अतः तब तक विवादित रकबे पर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद/प्रार्थनापत्र के फैसले तक स्थाई किया जाना उचित प्रतीत होता है ताकि प्रकरण में वर्णित रकबे को लेकर और अधिक मुकदमेंबाजी व कानूनी पेचिदगिया ना बढ़े। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 26.07.21 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा चक 1 बीआरडब्ल्युएम मु0नं0 101/23 किला नं0 17/4 को मूल प्रकरण सं0 75/2021 के फैसले तक स्थाई किया जाता है। उक्त विवादित रकबे पर मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूलवाद/प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न हो।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)